संख्या -क0नि0-5-555/11-99-500(20)/98

प्रेषक,

टी0जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 28 दिसम्बर 1999

विषयः ईंट भट्ठों का जिला पंचायतों द्वारा लाइसेंस तथा जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा माइनिंग परमिट को अंपजीकृत एवं कम स्टाम्पित विलेखों के आधार पर न जारी करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करें। शासन के संज्ञान में यह जानकारी आयी है कि विभिन्न जनपदों में अंपजीकृत अथवा कम स्टाम्पित विलेखों के आधार जिला पंचायतों द्वारा ईंट भट्ठों के लाइसेंस तथा जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा ईंट भट्ठों के लिए माइनिंग परमिट जारी किया जा रहा है। इसी प्रकार के विलेखों के आधार पर जिला कार्यालयों द्वारा माइन मिनरल के खनन की अनुज्ञप्तियां भी जारी की जा रही है। प्रायः परमिट प्राप्त करने हेतु संबंधित पक्षकारों द्वारा भूमि के लीज डीड नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित रूप से स्वीकार की जा रही है। यह सर्वथा अवैधानिक है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा -2 (14) विलेख तथा धारा-2 (16) में पट्टा परिभाषित है। अचल सम्पत्ति के अंतरण के विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी प्रभार्य होती है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत यथा विधि स्टाम्पित विलेख को ही साक्ष्य में ग्रहण करके जिला पंचायत कार्यालय अथवा जिलाधिकारी कार्यालय उपरोक्त प्रकार के परमिट जारी कर सकते है।

2-अतः शासन द्वारा यह निर्देश जारी किये जाते है कि समस्त जिला पंचायतों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों के वे अधिकारी जो उपरोक्त प्रकार के लाइसेंस् अथवा परमिट जारी करते है वे यह सुनिश्चित करेंगें कि यथाविधि स्टाम्पित विलेख को ही साक्ष्य में ग्रहण करके यह कार्यवाही की जाय। इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

भवदीय
ह०/-
टी0जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव।

संख्याःक0नि0-5-5505/11-99-500(20)/98 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर सचिव, राजस्व परिषद/ आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त उप/ सहायक आयुक्त, स्टाम्प के इन कार्यालयों का निरीक्षण करके इस निर्देश के अनुपालन की समीक्षा मासिक बैठक मे करें तथा शासन को प्रगति से अवगत करायें।

2- निदेशक, राजस्व एवं विशिष्ट अधिसूचना, एनेक्सी भवन लखनऊ को उनके अर्ध्दशासकीय पत्र संख्या -5525//विधि /खनन/1999 दिनांक 20-12-99 में क्रम में सूचनार्थ |

3- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, विशेष सचिव एवं अपर निदेशक, राजस्व एवं विशिष्ट अधिसूचना, उ0प्र0 सचिवालय लखनऊ |

4- समस्त उप / सहायक आयुक्त, स्टाम्प उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि लेखपत्रों की प्रकृति का परीक्षण करके अपर सचिव, राजस्व परिषद के निर्देशानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें |

भवदीय
ह०/-
टी0जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव

सत्यापित राधेश्याम
अनुभाग अधिकारी
स्टाम्प अनुभाग